



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022026-270601
CG-DL-E-28022026-270601

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1014]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2026/फाल्गुन 8, 1947

No. 1014]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2026/PHALGUNA 8, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2026

का.आ. 1058(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इस में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे के कि.मी. 249.200 से कि.मी.292.400 (सुरत-नाशिक-अहिल्यानगर (अहमदनगर) ग्रीनफिल्ड सेक्शन) के निर्माण (छे/आठ लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन निचे अनुसूची में दिया गया है, एत द्वारा ऐसी भूमिका अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्किस दिन के भीतर अपनी आपत्ती प्रकट कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी, श्रीरामपूर (राहुरी तालुका), को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकृत किये जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिव्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुद्यात कर सकेगा या अननुद्यात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आनेवाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्योरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिले में ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे के कि.मी. 249.200 से कि.मी. 292.400 (सुरत-नाशिक-अहिल्यानगर (अहमदनगर) ग्रीनफिल्ड सेक्शन) तक के लिये अर्जन कि जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: अहमदनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: राहुरी					
गांव का नाम: राहुरी					
1	104 P	निजी	नम	0.094 (हेक्टेयर)	0.094
2	106 P	निजी	नम	1.794 (हेक्टेयर)	1.794
3	110P	निजी	नम	0.149 (हेक्टेयर)	0.149
4	114 P	निजी	नम	1.828 (हेक्टेयर)	1.828
5	115 P	निजी	नम	2.022 (हेक्टेयर)	2.022
6	121 P	निजी	नम	1.381 (हेक्टेयर)	1.381
7	122 P	निजी	नम	1.873 (हेक्टेयर)	1.873
8	123 P	निजी	नम	0.745 (हेक्टेयर)	0.745
9	124 P	निजी	नम	0.14206 (हेक्टेयर)	0.14206
10	126 P	निजी	नम	2.601 (हेक्टेयर)	2.601
11	131P	निजी	नम	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
12	132 P	निजी	नम	2.747 (हेक्टेयर)	2.747
13	133 P	निजी	नम	2.935 (हेक्टेयर)	2.935
14	134 P	निजी	नम	1.345 (हेक्टेयर)	1.345
15	136 P	निजी	नम	3.535 (हेक्टेयर)	3.535
16	137 P	निजी	नम	0.057 (हेक्टेयर)	0.057

17	149P	निजी	शुष्क/नम	0.399 (हेक्टेयर)	0.399
18	216 P	सरकारी	वन	4.408 (हेक्टेयर)	4.408
19	217 P	सरकारी	वन	0.639 (हेक्टेयर)	0.639
20	55P	निजी	नम	0.0001 (हेक्टेयर)	0.0001
21	56 P	निजी	नम	1.305 (हेक्टेयर)	1.305
22	57 P	निजी	नम	1.324 (हेक्टेयर)	1.324
23	58 P	निजी	नम / शुष्क	2.425 (हेक्टेयर)	2.425
24	59 P	निजी	नम	0.195 (हेक्टेयर)	0.195
25	65 P	निजी	नम	0.586 (हेक्टेयर)	0.586
26	66P	निजी	शुष्क	2.762 (हेक्टेयर)	2.762
27	773 P	निजी	नम	2.605 (हेक्टेयर)	2.605
28	84 P	निजी	शुष्क	1.226 (हेक्टेयर)	1.226
29	97 P	निजी	नम	0.154 (हेक्टेयर)	0.154
30	River	सरकारी	नदी	0.38 (हेक्टेयर)	0.38
31	Road	सरकारी	रोड	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
32	Road	सरकारी	रोड	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
33	Road	सरकारी	रोड	1.47 (हेक्टेयर)	1.47
गांव का नाम: सडे					
34	34/10 P	निजी	नम	3.87 (हेक्टेयर)	3.87
35	34/11 P	सामान्य	शुष्क/नम	2.28 (हेक्टेयर)	2.28
36	34/12 P	सामान्य	शुष्क/नम	0.53 (हेक्टेयर)	0.53
37	34/6 P	सामान्य	शुष्क/नम	3.02 (हेक्टेयर)	3.02
38	34/8 P	सामान्य	नम	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
39	386 P	निजी	नम	1.38 (हेक्टेयर)	1.38
40	387 P	निजी	शुष्क/नम	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
41	388 P	निजी	शुष्क/नम	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
42	389 P	निजी	शुष्क/नम	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
43	390 P	निजी	शुष्क/नम	0.77 (हेक्टेयर)	0.77

44	391 P	निजी	शुष्क/नम	0.43 (हेक्टेयर)	0.43
45	392 P	निजी	शुष्क/नम	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
46	393 P	निजी	नम	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
47	395 P	निजी	नम	1.58 (हेक्टेयर)	1.58
48	408 P	निजी	नम	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
49	421 P	निजी	शुष्क/नम	0.49 (हेक्टेयर)	0.49
50	423 P	निजी	नम	0.53 (हेक्टेयर)	0.53
51	424 P	निजी	नम	0.69 (हेक्टेयर)	0.69
52	425 P	निजी	नम	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
53	426 P	निजी	नम	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
54	426 P	निजी	नम	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
55	427 P	निजी	नम	0.84 (हेक्टेयर)	0.84
56	448 P	निजी	नम	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
57	470 P	निजी	नम	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
58	River	सरकारी	नदी	1.59 (हेक्टेयर)	1.59
59	River	सरकारी	नदी	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
गांव का नाम: खडांबे बुद्रुक					
60	154 P	निजी	शुष्क/नम	0.89 (हेक्टेयर)	0.89
61	155 P	निजी	शुष्क/नम	0.74 (हेक्टेयर)	0.74
62	River	सरकारी	नम	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
Total					65.57716

[फा. सं. NHAI/GreenField/LA/2018/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th February, 2026

S.O. 1058(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (6/8 laning etc), maintenance, management and operation of Greenfield Expressway in the stretch of land from Km. 249.200 to Km 292.400 (Surat-Nashik-Ahiyanagar (Ahmednagar) Greenfield Section) in the District of Ahiyanagar (Ahmednagar) in the State of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer, Shrirampur (for Rahuri Taluka) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within stretch of land from Km. 249.200 to Km 292.400 (Surat - Nashik – Ahyanagar (Ahmednagar) Greenfield Section) of Greenfield Expressway in the District of Ahyanagar (Ahmednagar) in the State of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: AHMEDNAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Rahuri					
Village: Rahuri					
1	104 P	Private	Wet	0.094 (Hectare)	0.094
2	106 P	Private	Wet	1.794 (Hectare)	1.794
3	110P	Private	Wet	0.149 (Hectare)	0.149
4	114 P	Private	Wet	1.828 (Hectare)	1.828
5	115 P	Private	Wet	2.022 (Hectare)	2.022
6	121 P	Private	Wet	1.381 (Hectare)	1.381
7	122 P	Private	Wet	1.873 (Hectare)	1.873
8	123 P	Private	Wet	0.745 (Hectare)	0.745
9	124 P	Private	Wet	0.14206 (Hectare)	0.14206
10	126 P	Private	Wet	2.601 (Hectare)	2.601
11	131P	Private	WET	0.001 (Hectare)	0.001
12	132 P	Private	Wet	2.747 (Hectare)	2.747
13	133 P	Private	Wet	2.935 (Hectare)	2.935
14	134 P	Private	Wet	1.345 (Hectare)	1.345
15	136 P	Private	Wet	3.535 (Hectare)	3.535
16	137 P	Private	Wet	0.057 (Hectare)	0.057
17	149P	Private	Dry/Wet	0.399 (Hectare)	0.399

18	216 P	Government	Forest	4.408 (Hectare)	4.408
19	217 P	Government	Forest	0.639 (Hectare)	0.639
20	55P	Private	WET	0.0001 (Hectare)	0.0001
21	56 P	Private	Wet	1.305 (Hectare)	1.305
22	57 P	Private	Wet	1.324 (Hectare)	1.324
23	58 P	Private	Wet/Dry	2.425 (Hectare)	2.425
24	59 P	Private	WET	0.195 (Hectare)	0.195
25	65 P	Private	WET	0.586 (Hectare)	0.586
26	66P	Private	DRY	2.762 (Hectare)	2.762
27	773 P	Private	Wet	2.605 (Hectare)	2.605
28	84 P	Private	DRY	1.226 (Hectare)	1.226
29	97 P	Private	WET	0.154 (Hectare)	0.154
30	River	Government	River	0.38 (Hectare)	0.38
31	Road	Government	Road	0.22 (Hectare)	0.22
32	Road	Government	Road	0.23 (Hectare)	0.23
33	Road	Government	Road	1.47 (Hectare)	1.47
Village: Sade					
34	34/10 P	Private	Wet	3.87 (Hectare)	3.87
35	34/11 P	Common	Dry/Wet	2.28 (Hectare)	2.28
36	34/12 P	Common	Dry/Wet	0.53 (Hectare)	0.53
37	34/6 P	Common	Dry/Wet	3.02 (Hectare)	3.02
38	34/8 P	Common	Wet	0.03 (Hectare)	0.03
39	386 P	Private	Wet	1.38 (Hectare)	1.38
40	387 P	Private	Dry/Wet	0.13 (Hectare)	0.13
41	388 P	Private	Dry/Wet	0.23 (Hectare)	0.23
42	389 P	Private	Dry/Wet	0.36 (Hectare)	0.36
43	390 P	Private	Dry/Wet	0.77 (Hectare)	0.77
44	391 P	Private	Dry/Wet	0.43 (Hectare)	0.43
45	392 P	Private	Dry/Wet	0.29 (Hectare)	0.29
46	393 P	Private	Wet	0.13 (Hectare)	0.13
47	395 P	Private	Wet	1.58 (Hectare)	1.58
48	408 P	Private	Wet	0.01 (Hectare)	0.01

49	421 P	Private	Dry/Wet	0.49 (Hectare)	0.49
50	423 P	Private	Wet	0.53 (Hectare)	0.53
51	424 P	Private	Wet	0.69 (Hectare)	0.69
52	425 P	Private	Wet	0.25 (Hectare)	0.25
53	426 P	Private	Wet	0.17 (Hectare)	0.17
54	426 P	Private	Wet	0.01 (Hectare)	0.01
55	427 P	Private	Wet	0.84 (Hectare)	0.84
56	448 P	Private	Wet	0.02 (Hectare)	0.02
57	470 P	Private	Wet	0.06 (Hectare)	0.06
58	River	Government	River	1.59 (Hectare)	1.59
59	River	Government	River	0.32 (Hectare)	0.32
Village: Khadambe Bk.					
60	154 P	Private	Dry/Wet	0.89 (Hectare)	0.89
61	155 P	Private	Dry/Wet	0.74 (Hectare)	0.74
62	River	Government	Wet	0.36 (Hectare)	0.36
Total					65.57716

[F. No. NHAI/GreenField/LA/2018/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director